

सं०- 16/बी1.-17/2018 -
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

राधेश्याम साह
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय तिब्बी कॉलेज, पटना।
पटना, दिनांक -

विषय :- शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-103 यूनानी-0001 तिब्बी कॉलेज पटना, विपत्र कोड- 20-2210051030001 एवं माँग संख्या - 20 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विभिन्न इकाईयों में कुल 17,29,00,000/- (सतरह करोड़ उन्तीस लाख) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उप शीर्ष अंतर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए कुल 17,29,00,000/- (सतरह करोड़ उन्तीस लाख)रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति (विवरणी संलग्न)।

2. संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० -2561/वि०(2) दिनांक -17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या - 354/वि० दिनांक 28.03.2018 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 3244/वि० दिनांक-04.05.2018 में निहित निदेशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग सं० 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-103 यूनानी-0001 तिब्बी कॉलेज पटना, विपत्र कोड- 20-2210051030001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के वित्त विभाग के परिपत्र 868/वि० दिनांक-10.12.2018 द्वारा द्वितीय अनुपूरक आगणन के बजट उपबंध से की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/ विशेष सचिव, स्वास्थ्य होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस आवंटनादेश से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में देय बकाया का विधिवत जाँच कर सर्वप्रथम बकाया वेतनादि भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आवंटित राशि से दवा एवं अन्य सामग्री का क्रय संबंधित कार्य देशी चिकित्सा निदेशालय के पत्रांक 156 (दे०चि०) दिनांक - 12.2.99 एवं 801 (दे०चि०) दिनांक 28.11.2002 एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायेगा।

8. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन उनका सदुपयोग करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।

10. अनुरक्षण एवं मरम्मत मद तथा लघु कार्य मद में आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् उसमें निहित शर्त के अनुसार ही किया जायेगा।

11. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह फरवरी 2019 तक के लिए नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित के पश्चात् ही बकाया वेतनादि का भुगतान किया जायगा।

12. वित्तीय वर्ष 2018-19 का अद्यतन व्यय विवरणी के साथ पूरे वित्तीय वर्ष का व्यय आकलित कर मांग पत्र भेजी जाय, तथा प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक नियमित रूप से व्यय विवरणी भी भेजी जाय।

13. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

14. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञाप सं०-

२७/१२ (आ.वि.)

पटना, दिनांक -

२८/१२/२०१८

प्रतिलिपि -महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वा० के निजी सहायक/ प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय/ आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

विश्वामय्य राजन

सरकार के विशेष सचिव

सरकार के विशेष सचिव

0001 तिब्बी कॉलेज, वित्तीय वर्ष 2018-19

विवरण

क्रम सं.	प्राथमिक इकाईयां	कोड	उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
1.	2	3	4	5	6	7	8
1	वेतन	01 01	97409000	76500000	20909000	97409000	0
2	जीवन यापन भत्ता	01 03	10823000	8500000	2323000	10823000	0
3	मकान किराया भत्ता	01 04	19227000	15100000	4127000	19227000	0
4	परिवहन भत्ता	01 05	3746000	2942000	804000	3746000	0
5	चिकित्सा भत्ता	01 06	1146000	900000	246000	1146000	0
6	अन्य भत्ता	01 07	203000	159000	44000	203000	0
	योग (वेतन एवं भत्ता)		132554000	104101000	28453000	132554000	0
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	06 01	700000	700000	0	700000	0
8	यात्रा व्यय	11 01	500000	500000	0	500000	0
9	कार्यालय व्यय	13 01	3000000	2000000	1000000	3000000	0
10	दूरभाष	13 03	100000	100000	0	100000	0
11	विद्युत प्रभार	13 04	4000000	4000000	0	4000000	0
12	विधि प्रभार	13 05	100000	100000	0	100000	0
13	वर्दी पोशाक	13 06	200000	200000	0	200000	0
14	भाड़े की गाड़ी का भुगतान	13 10	500000	0	500000	500000	0
15	किराया म0 एवं कर	14 01	700000	700000	0	700000	0
16	प्रकाशन एवं मुद्रण	16 01	200000	200000	0	200000	0
17	कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	20 02	500000	500000	0	500000	0
18	प्रशिक्षण व्यय	20 03	50000	50000	0	50000	0
19	सामग्री एवं पूर्तियां	21 01	7000000	4000000	3000000	7000000	0
20	दवा भंडार	21 02	10000000	10000000	0	10000000	0
21	आहार/पथ्य	21 03	2000000	2000000	0	2000000	0
22	लघु कार्य	27 01	149947000	10000000	139947000	149947000	0
23	अनुरक्षण एवं मरम्मत	27 02	10000000	10000000	0	10000000	0
24	व्यावसायिक एवं विशेष सेवायें	28 01	0	0	0	0	0
25	संविदा सेवाएँ	28 02	20000000	20000000	0	20000000	0
26	व्यावसायिक/कला/तकनीकी से	28 04	200000	200000	0	200000	0
27	छात्रवृत्ति / वजीफा	34 01	3000000	3000000	0	3000000	0
28	मशीन एवं उपस्कर	52 01	2500000	2500000	0	2500000	0
	योग		347751000	174851000	172900000	347751000	0

(सतरह करोड़ उन्तीस लाख) रुपये मात्र

२७ व (आ.चि.)

२८.१२.२०१८

सरकार के विशेष सचिव